Ph.No:-0612-2230063 (O)
Fax No:-0612-2230064
E-mail:-secy-bcebc-bih@nic.in
Website:-http://bcebcwelfare.bih.nic.in

**बिहार सरकार**
**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**

पत्रांक–पि0व0 / छात्रवृत्ति–35–08 / 2012–

प्रेषक,

पंकज कुमार,
**सरकार के सचिव।**

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–

विषय– **प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बैकलॉग समाप्त करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–2107 दिनांक–01.09.2015**

महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र (प्रति संलग्न) का स्मरण करें। छात्रवृत्ति वितरण का कार्य अनंत काल नही चलायी जा सकती है, बल्कि समय सीमा निर्धारित कर इसका शीघ्र वितरण करायी जाय। वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुल आवंटन रू0 370.279 करोड़ के विरूद्ध मात्र रू0 245.94 करोड़ वितरण किया गया है। कई जिलों में या तो उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित छात्रवृत्ति समिति की बैठक नही हुई है एवं कई जिलों में छात्रवृत्ति समिति की बैठक के उपरांत राशि लाभार्थी के खाते में RTGS नहीं किया गया है, जो अत्यंत ही गम्भीर विषय है।

अतः ऑनलाईन आवेदनों से संबंधित त्रुटि का निराकरण एवं सत्यापन जिला स्तर पर करते हुए निम्न समय–सीमा (Time Line) के अन्तर्गत वितरण सुनिश्चित किया जायः–

| | |
|---|---|
| जिला स्तरीय छात्रवृत्ति चयन समिति की बैठक की तिथिः– | 22.12.2015 तक |
| प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का त्रुटि निराकरण एवं सत्यापन करने की तिथिः– | 25.12.2015 तक |
| सभी चयनित छात्रों के सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर खाते में RTGS करने की तिथिः– | 31.12.2015 तक |
| उक्त राशि का वित्तीय वर्ष 2014–15 का अद्यतन वितरण की समीक्षा जिला पदाधिकारी के स्तर पर करने की तिथिः– | 07.01.2016 तक |

2– मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत भी विगत वर्ष 2014–15 में कुल रू0 47.4024 करोड़ उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके विरूद्ध मात्र रू0 45.032 करोड़ ही व्यय किया गया है। वर्ष 2014–15 के पूर्व के वर्षो के भी अनेक आवेदन त्रुटि निराकरण हेतु लंबित है एवं उपलब्ध राशि भी बैंक खाते में जमा है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की छोटी–छोटी त्रुटियों के निराकरण के लिए छात्रों को यत्र–तत्र भटकना पड़ता है। अतः इस संबंध में जिला स्तर पर एक कैम्प आयोजित की जाय, जिसका प्रचार–प्रसार कराकर सभी विद्यार्थियों को अवगत करायी जाय। कैम्प में विधिवत उनका त्रुटि निराकरण कर सत्यापन के उपरांत वितरण भी सुनिश्चित करायी जाय। त्रुटि निराकरण हेतु कैम्प के आयोजन की समय–सीमा निम्न रूप से निर्धारित की जा रही हैः–

| | |
|---|---|
| पूर्व से प्राप्त सभी वैसे लंबित मामले की सूची तैयार कर, इसकी समीक्षा कर इसका सत्यापन एवं त्रुटि निराकरण की तिथिः– | 22.12.2015 तक |
| विशेष कैम्प का आयोजन की तिथिः– | 25.12.2015 तक |
| छात्रों के बीच वितरण की तिथिः– | 31.12.2015 तक |

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना में पूर्ववर्ती वर्षो के सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर ली जाय।

Ph.No:-0612-2230063 (O)
Fax No:-0612-2230064
E-mail:-secy-bcebc-bih@nic.in
Website:-http://bcebcwelfare.bih.nic.in



3– प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 का बकाया एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 का आवंटन कुल रू0 1275.25 करोड़ के विरूद्ध रू0 1124.84 करोड़ वितरण किया गया है, जिसपर मुख्य सचिव, बिहार द्वारा गम्भीर चिंता व्यक्त की गई है। अतः अवशेष राशि का वितरण संबंधित छात्र/छात्राओं के बीच करने हेतु निम्नरूपेण समय–सीमा निर्धारित की जाती है:–

| | |
|---|---|
| छात्रों के बीच वितरण की अंतिम तिथि:– | 31.12.2015 तक |

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित छात्रवृत्ति/मेधावृत्ति राशि का वितरण दिनांक–31.12.2015 तक शतप्रतिशत सुनिश्चित कराते हुए अवशेष राशि 15.01.2016 तक सरकारी खाता में अवश्य जमा करा दी जाय। निर्धारित तिथियों के बाद यदि कोई लाभार्थी छात्रवृत्ति/मेधावृत्ति राशि से वंचित रह जाता है, तो संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रपत्र–क गठित करते हुए विभाग को सूचित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(पंकज कुमार)
**सरकार के सचिव।**

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–35–08/2012– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–सभी उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
**सरकार के सचिव।**

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–35–08/2012– 3033 पटना, दिनांक– 17/12/15

प्रतिलिपि–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित, अनुरोध है कि भवदीय स्तर से भी इसकी समीक्षा करने की कृपा की जाय।

17/12/2015
**सरकार के सचिव।**

*Letter of Princ.Secy.(Harry)*

37